File No. HR/3/2023-HR-FSSAI

एफएसएसएआई fssai भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण Food Safety and Standards Authority of India

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक प्राधिकरण)
सामान्य प्रशासन, नीति समन्वय प्रभाग
एफडीईए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली – 110002

दिनांक 07 जुलाई 2025

सूचना

विषयः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 5 के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 5(1) के अनुसार, खाद्य प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित बाईस सदस्य होंगे, जिनमें से एक तिहाई महिलाएं होंगी, अर्थात:-

(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे न होने वाले सात सदस्य, जो पदेन सदस्य होंगे;

(ख) खाद्य उद्योग से दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक लघु उद्योगों से होगा;

(ग) उपभोक्ता संगठनों से दो प्रतिनिधि;

(घ) तीन प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकीविद् या वैज्ञानिक;

(ङ) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों से क्रमवार एक-एक सदस्य, प्रत्येक तीन वर्ष में चक्रानुक्रम से नियुक्त किए जाने वाले पांच सदस्य;

(च) कृषक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो व्यक्ति;

(छ) खुदरा विक्रेताओं के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति।

2. धारा 5(1) (ख) से (छ) के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों को राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 6022(ई) दिनांक 22 दिसंबर, 2022 के माध्यम से 03 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया। सदस्यों की नियुक्ति 21 दिसंबर 2025 तक वैध है।

3. इस संबंध में, धारा 5(1) (ख), (ग), (घ), (च) और (छ) के तहत खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों के नामांकन मांगे जा रहे हैं।

4. खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों को, पदेन सदस्यों के अलावा, प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए प्रत्येक दिन या उसके भाग के लिए सात हजार पांच सौ रुपये की बैठक फीस का भुगतान किया जाएगा और वास्तविक यात्रा और निर्वाह व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।.

5. नामांकन में योग्यता, अनुभव, क्षमता और अपने संबंधित क्षेत्र में दी गई सेवा का विवरण होना चाहिए, जिसे इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि उच्चतम योग्यता मानक, प्रासंगिक विशेषज्ञता की एक विस्तृत श्रृंखला और देश के भीतर सबसे व्यापक भौगोलिक वितरण सुनिश्चित हो। नामांकन निर्धारित प्रारूप में अनुलग्नक ए में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इसके अलावा, विस्तृत बायोडाटा भी प्रदान किया जा सकता है। नामांकन को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में 15 जुलाई 2025 तक ईमेल: Authority-mtg@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है।

6. महिला उम्मीदवारों के नामांकन को भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि खाद्य प्राधिकरण सदस्यों का एक-तिहाई अनुपात बनाए रखा जा सके।

आपका आभारी

(डॉ. अजय प्रकाश गुप्ता)
निदेशक, नीति समन्वय

अनुलग्नक-ए

खाद्य प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति

1. नाम:

2. जन्म तिथि:*

3. लिंग:

4. पता*

   निवास:

   कार्यालय:

5. टेलीफोन नं. (मोबाइल/कार्यालय/निवास):

6. फैक्स नं./ई-मेल:

7. शैक्षणिक योग्यता:*

8. व्यावसायिक योग्यता:*

9. खाद्य सुरक्षा/मानक/गुणवत्ता नियंत्रण में व्यावसायिक/अनुसंधान अनुभव यदि कोई हो।*

10. जीते गए पुरस्कारों/अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का विवरण, यदि कोई हो।*

11. अन्य प्रमुख उपलब्धियाँ

12. व्यावसायिक निकायों/संघों की सदस्यता*

13. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का विवरण*

14. धारा 5(1) (बी)/(सी)/(डी)/(एफ)/(जी) के अंतर्गत आवेदन करना: (कृपया नोटिस के अनुसार आवेदन अनुभाग पर टिक करें)

15. कोई अन्य जानकारी

हस्ताक्षर

*कृपया सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें

File No. HR/3/2023-HR-FSSAI

एफएसएसएआई fssai भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण Food Safety and Standards Authority of India

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Statutory authority established under the Food Safety and Standards Act, 2006)
General Administration, Policy Coordination Division
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002

Date 07th July 2025

NOTICE

Subject: Appointment of part-time members of the Food Authority under Section 5 of the Food Safety and Standards Act, 2006-reg.

As per section 5 (1) of the Food Safety and Standards Act, 2006, the Food Authority shall consist of a Chairperson and the following twenty-two members out of which one-third shall be women, namely:-

(a) seven Members, not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India, from various Ministries/Departments who shall be Members ex officio;
(b) two representatives from food industry of which one shall be from small scale industries;
(c) two representatives from consumer organisations;
(d) three eminent food technologists or scientists;
(e) five members to be appointed by rotation every three years, one each in seriatim from the Zones as specified in the First Schedule to represent the States and the Union territories;
(f) two persons to represent farmers' organisations;
(g) one person to represent retailers' organisations.

2. Food Authority members under section 5(1) (b) to (g) were notified for a period of 03 years vide Gazette Notification S.O. 6022(E) dated 22nd December, 2022. The appointment of the members is valid up to 21 Dec 2025.

3. In this regard, Nominations of suitable candidates for appointment as members of the Food Authority under section 5(1) (b), (c), (d), (f) & (g) are being sought.

4. The Members of the Food Authority, other than ex-officio members, shall be paid a sitting fee of seven thousand and five hundred rupees for each day or part thereof for attending each meeting and the reimbursement of actual travel and subsistence expenses.

5. The nomination(s) should contain details of the qualifications, experience, competence, and service rendered in their respective field, presented in a manner that ensures the highest standards of competence, a broad range of relevant expertise, and the broadest possible geographic distribution within the country. The nomination should be submitted in the prescribed format at Annexure A, In addition, detailed resume may also be provided. The

nominations may be forwarded to Email: authority-mtg@fssai.gov.in latest by 15 July 2025 in prescribed format alongwith all supporting documents.

6. It is also encouraged to forward nominations of woman candidates so that one-third ratio of Food Authority member may be maintained.

Yours Faithfully

(Dr. Ajai Prakash Gupta)
Director, Policy Coordination

Annexure A

APPOINTMENT OF PART- TIME MEMBER OF FOOD AUTHORITY

1. Name:

2. Date of Birth:*

3. Gender:

4. Address*

   Residence:

   Office:

5. Telephone Nos. (Mobile/ Office/ Residence):

6. Fax No. / e-mail:

7. Academic Qualifications:*

8. Professional Qualifications:*

9. Professional / Research experience in food safety/ Standards/Quality Control if any.*

10. Details of awards/ other national / international recognition won, if any.*

11. Other major achievements

12. Membership of professional bodies/ associations*

13. Details of national / international conference attended*

14. Applying under section 5(1) (b) / (c) / (d) / (f) / (g): (Please tick application section as per notice)

15. Any other information

Signature

*Please attach supporting documents